राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप-6)विभाग

प0क्र0:- प.9(52)राज-6/2010/2 जयपुर,दिनांक:- 20-1-11

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 260 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं इसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र जहां भू-प्रबन्ध कार्य चल रहा है, वहां भू-प्रबन्ध अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग, भू-प्रबन्ध अधिकारी का पद रिक्त होने पर, सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा जिन्हें आहरण-वितरण अधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की हुई है, भू-प्रबन्ध अधिकारी का पदस्थापन होने तक उनके क्षेत्राधिकार के भीतर किया जावेगा।

राज्यपाल के आदेश से
(मूल चन्द मीणा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 वि0 सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय, राजस्थान।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्व।
3 समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4 निबंधक राजस्व मण्डल, राज0 अजमेर।
5 भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
6 कलेक्टर बीकानेर, सीकर, अलवर, भरतपुर।
7 उप निवेशन आयुक्त, राजस्थान, बीकानेर।
8 सचिव, राजस्थान विधान सभा।
9 निदेशक हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।
10 निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
11 अधीक्षक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 20-1-11 में प्रकाशनार्थ।
12 आल परपज रेवेन्यू ट्रेनिंग स्कूल, टोंक।
13 राविरा राजस्व मण्डल, राज0 अजमेर।
14 विधी (संकलन) विभाग को 7 प्रतियों सहित।
15 सम्बन्धित अधिकारी।
16 राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर, सीकर, अलवर, भरतपुर।
17 गार्ड फाईल।

उप शासन सचिव